न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक:-38/अ-59/2017-18/ 633 बैतूल दिनांक 15/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत जौलखेड़ा जनपद पंचायत मुलताई के पत्र दिनांक 10-10-2017 द्वारा ग्राम जौलखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर में से 0.090 को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- सरपंच ग्राम पंचायत जौलखेड़ा के उक्त पत्र के आधार पर तहसीलदार मुलताई द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा जौलखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.090 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्‌घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 2-10-2017 आयोजित ग्राम पंचायत जौलखेड़ा की बैठक में, मौजा जौलेखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर में से 0.090 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा जौलखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद मे दर्ज है, तथा अधिकार अभिलेख के अनुसार भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार वर्तमान में खसरा नंबर 344 का रास्ता अनुपयोगी है। इस रास्ते के बदले में खसरा नंबर 512 प्रचलित आबादी में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण होने से आवागमन चालू है। खसरा नंबर 344 के रास्ते से आवागमन जारी नहीं है, तथा आगे जाकर स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनने रास्ता अवरूद्ध हो गया है।

(5)- तहसीलदार मुलताई द्वारा मौजा जौलखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर मे से 0.090 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा तहसीलदार मुलताई के मत से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-237 (1) (ट) के अनुसार कलेक्टर दखल रहित भूमि को किन्ही अन्य प्रयोजनो लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाए, पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार मुलताई/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा जौलखेड़ा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 344 रकबा 0.850 हेक्टेयर में से 0.090 जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित

किया गया है को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाए।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर 15/1/18
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:-38 /अ–59/2017–18/ 633 बैतूल दिनांक 15/01/2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई ।

2– तहसीलदार मुलताई।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत जौलखेड़ा जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल. 15/1/18